

19/4/18

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित। वकील प्रार्थिया
 ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस करनी चाही। वकील
 प्रार्थिया की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई, बहस के
 दौरान वकील प्रार्थिया ने बताया कि हमारे महाराजिनामा
 हो गया है। जिससे हम सहमत हैं तथा अब प्रार्थिया प्रार्थना
 पत्र से आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। इस कारण
 प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज करमाया जावे।

इसने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र
 स्वीकार किया। तथा प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन
 किया गया। ज्यायहित में वकील प्रार्थिया के प्रार्थना
 पत्र में आपसी राजीनामा हो जाने तथा प्रार्थिया द्वारा
 प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।
 पत्रावली फाइल सुमार होरुद इफतर डायिबल हो। पत्रावली
 श्रुत वाद के साथ सलग्न है।



उपखण्ड अधिकारी
 मंडल जिला भालवाड़ा

वरज

नं ५६-५७

प्रार्थिया